भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2878
दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेकेकेवाई का प्रभाव आकलन

†2878. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के कार्यान्वयन से लेकर अब तक इसके प्रभाव का आकलन या मूल्यांकन अध्ययन किया है और यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकनों के प्रमुख निष्कर्षों अथवा परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने डीएमएफ निधि के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को कार्यान्वित किए जाने के तरीके का आकलन किया है जिसमें इसके उपयोग, प्रवर्तन में चुनौतियां और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं; और
(ग) क्या मंत्रालय ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए डीएमएफ निधि के उपयोग के तरीके का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके समग्र परिणाम, प्रमुख चुनौतियां और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग) पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश 2024, में अधिदेशित किया गया है कि डीएमएफ एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करेंगे। इस सर्वेक्षण या आकलन के माध्यम से प्राप्त निष्कर्षों और कमियों के आधार पर, डीएमएफ एक पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना रणनीति तैयार करेंगे।

पीएमकेकेकेवाई-2024 दिशानिर्देश में यह भी अधिदेशित है कि पीएमकेकेकेवाई निधियों का कम से कम 70% पेयजल, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा आदि जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तथा डीएमएफ निधियों के 30% तक का उपयोग भौतिक अवसंरचना सहित अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीएमएफ निधियों का न्यूनतम 70% का व्यय केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में ही किया जाएगा। इसके अलावा, पीएमकेकेकेवाई 2024 की धारा 6 में यह निर्धारित किया गया है कि डीएमएफ से निधियों के व्यय का अनुमोदन पूरी तरह से डीएमएफ की शासी परिषद के पास है।

*****